



2026:AHC:180201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30243 / 2026

विमला देवी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रमा शंकर मिश्रा

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमा शंकर मिश्रा, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आनन्द प्रताप सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 284/2026 अंतर्गत धारा 80(2), 85, 115(2), 352 बी.एन.एस. और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन - तिलहर, जिला - शाहजहांपुर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक की सास हैं, जिन्होंने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आवेदक को मात्र मृतक की सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके विरुद्ध यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि उन्होंने मृतक की मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्हें प्रताड़ित किया था। आवेदक और परिवार के अन्य सदस्यों पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर उन्हें झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाह के सात

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज हत्या की धारणा लागू करने के लिए, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व प्रताड़ित किया गया था, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है।

4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त सेठपाल कनौजिया, जो मृतक के ससुर हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28891/2026 में आदेश दिनांक 18.08.2026 द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने की पात्र है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और महिला होने के नाते, वह धारा 480 बीएनएसएस के अंतर्गत जमानत पर रिहा होने की पात्र है। आवेदक विधि का पालन करने वाली नागरिक है और वह 17.06.2026 से जेल/कारागार में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतक की सास है और साथ ही समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में प्रतिवेदित के मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की पात्र है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **विमला देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - II. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगी।
 - III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी या कोई अपराध नहीं करेगी।
 - IV. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित साथ ही साथ पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत के मामले में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक, शाहजहाँपुर के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे।**

14. आवेदन, यदि कोई है, **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अगस्त 31, 2026

एसए

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।